प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 30.05.2026

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत अवैध मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान मे Amazon की पॉलीथिन मे पैक करके ऑनलाइन पोर्टर के माध्यम विभिन्न प्रकार का इम्पोर्टेड गांजा, स्मैक व चरस की तस्करी व बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 16 किलो 435 ग्राम विभिन्न प्रकार का इम्पोर्टेड गांजा, 60 ग्राम अवैध चरस, 06 ग्राम अवैध स्मैक तथा गांजा, स्मैक व चरस को बेचने मे प्रयुक्त 01 कार टाटा टियागो, 01 बुलेट मोटर साइकिल व 01 स्कूटी एक्टिवा बरामद।

पुलिस आयुक्त कमिश्नेनेट गाजियाबाद के द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के नेतृत्व में दिनांक- 29/05/2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में Amazon की पॉलीथिन मे पैक करके ऑनलाइन पोर्टर के माध्यम से विभिन्न प्रकार का इम्पोर्टेड गांजा, स्मैक व चरस की तस्करी व बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 04 शातिर अभियुक्तों को बुनकर मार्ट थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 16 किलो 435 ग्राम इम्पोर्टेड गांजा, 60 ग्राम अवैध चरस, 06 ग्राम अवैध स्मैक तथा गांजा, स्मैक व चरस को बेचने मे प्रयुक्त 01 कार टाटा टियागो, 01 बुलेट मोटर साईकिल व 01 स्कूटी एक्टिवा बरामद की गयी है।

अभियुक्त का नाम व पता

1.अभिषेक पुत्र राजू निवासी सी 03/15 नियर अशोक हॉस्पिटल महेन्द्रा एन्क्लेव शास्त्रिनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष शिक्षा- 12वीं पास

2.सूरज पुत्र स्व0 कृष्णपाल निवासी सी-61 महेन्द्र एन्क्लेव शास्त्रिनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष शिक्षा- 8वीं पास

3.दीपक पुत्र ओमप्रकाश निवासी भारत धर्मकाँटे के पास गली न0-08 मकान न0- 10 लालकुआ थाना बिसरख जनपद-गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 28 वर्ष शिक्षा- 8वीं पास

4.शिवम मिश्रा पुत्र युगल किशोर मिश्रा निवासी के-825 सैक्टर 23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम जनपद-गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष शिक्षा- बीबीए

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त अभिषेक ने पूछताछ करने पर बताया कि वह मूल रूप से जनपद बिजनौर का रहने वाला है तथा वर्तमान में शास्त्रिनगर गाजियाबाद मे अपने परिवार के साथ रह रहा है, तथा 12वीं तक पढा है, वह पिछले काफी समय से गाजियाबाद मे अवैध गांजा, चरस, स्मैक आदि मादक पदार्थो की तस्करी/ बिक्री कर रहा है, अभियुक्त अभिषेक द्वार बताया गया कि वह विवेक नामक व्यक्ति जो बिहार राज्य का रहने वाला है से ऑनलाइन भुगतान करके मादक पदार्थ फर्जी पतों पर कोरियर के माध्यम से मँगवाता है तथा फिर वह अपने साथी शिवम मिश्रा, दीपक व सूरज के साथ मिलकर ग्राहकों से ऑनलाइन ऑर्डर लेकर अपने बैंक खातो मे यूपीआई के माध्य से रुपये लेकर खरीददार द्वारा बताये गये पतों पर पॉर्टर प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपरोक्त मादक पदार्थों की सप्लाई / डिलीवरी करते है, इनके द्वारा मादक पदार्थों की पैकिंग Amazon की पॉलिथीन में इस प्रकार की जाती थी जिससे उक्त मादक पदार्थों की पहचान ना की जा सके। पॉर्टर के माध्यम से मादक पदार्थो की सप्लाई के दौरान ऑर्डर पिक अप के स्थान बदल-बदल कर बताते है जिससे इन अभियुक्तों की सही पतों की जानकारी ना हो सके। अभिषेक द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा ओजी गांजा 1500 रू0 प्रति ग्राम, मैंगो गांजा 1000 रू0 प्रति 10 ग्राम, शिलॉग गांजा 1200 रू0 प्रति 10 ग्राम, चरस 1500 रू0 प्रति10 ग्राम तथा स्मैक 2000रू0 प्रति ग्राम की दर से बिक्री किये जाते है। अभियुक्तों से बरामद मादक पदार्थों की स्थानीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रूपये है। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों ने बताया कि उक्त काम से ये लोग काफी लाभ प्राप्त करते है जिसको आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते है, जिससे ये लोग अपने शौक पूरे करते है तथा अपने घर के खर्चे चलाते है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा विभिन्न स्कूलों / कॉलिजो एंव हॉस्टल के whatsapp ग्रुपों मे जुड़कर उनमें इस प्रकार के मादक पदार्थों का प्रचार करके छात्रों को ऑनलाइन मादक पदार्थ सप्लाई करने का काम किया जा रहा था, गिरफ्तार अभियुक्तों के पकडे जाने से निश्चित तौर पर स्कूल / कॉलिजों में मादक पदार्थों की सप्लाई / बिक्री पर अंकुश लगेगा।

आपराधिक इतिहास –

अभियुक्त शिवम मिश्रा के विरूद्ध पूर्व मे थाना नन्दग्राम पर मु0अ0स0- 312/24 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत है तथा अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1.विभिन्न किस्म का इम्पोर्टेड गांजा – कुल 16 किलो 435 ग्राम (ओजी गांजा-265 ग्राम, मैंगो गांजा-15.930 किलोग्राम, शिलाँग गांजा-240 ग्राम)

2.अवैध चरस – 60 ग्राम

3.अवैध स्मैक- 06 ग्राम

4.कार टाटा टियागो रजिस्ट्रेशन नम्बर- UP 14FW 4582 (अवैध गांजा, चरस व स्मैक की बिक्री करने मे प्रयुक्त)

5.मोटर साइकिल बुलेट रजिस्ट्रेशन नम्बर- UP 14FK 9903 (अवैध गांजा, चरस व स्मैक की बिक्री करने मे प्रयुक्त)
6.स्कूटी रजिस्ट्रेशन नम्बर- UP 14EE 1139 (अवैध गांजा, चरस व स्मैक की बिक्री करने मे प्रयुक्त)
7.अवैध गांजा, चरस व स्मैक की बिक्री करने हेतु प्रयुक्त एमाजोन की पॉलीथिन, स्टैप्लर, पार्दर्शी प्लास्टिक बॉक्स, अन्य पैकिंग पॉलीथिन)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2.थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक निरी0 श्री अजय चौधरी तत्कालीन थाना प्रभारी थाना साहिबाबाद द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री सतीश कुमार शर्मा द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना साहिबाबाद, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 376एबी भादवि व 5 एम/6 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त नदीम पुत्र शहबजान निवासी ए-276, साबिर के मकान में किरायेदार, शहीदनगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-03 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 30.05.2026 को धारा- 6 पॉक्सो अधि0 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिक पुत्री के साथ घिनौना कृत्य कारित करने के सम्बन्ध में दिनांक 19.02.2024 को थाना साहिबाबाद पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री सतीश कुमार शर्मा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)	**म0मु0आ0 रेनू** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**का0 राधेश्याम** पैरोकार थाना साहिबाबाद

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 27.05.2026 को थाना लोनी पर वादी श्री चांद पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त 1.आशुतोष 2. तनिष पुत्रगण वचन सिंह निवासी ग्राम वसोद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा वादी के तहेरे भाई नितिन पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत की गोली मारकर हत्या कर देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया । तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुये घटना में संलिप्त 1.आशुतोष 2. तनिष पुत्रगण वचन सिंह निवासी ग्राम वसोद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के अलावा 3. मुकुल त्यागी पुत्र श्यानंद त्यागी निवासी गांव रतनपुरी पिलाना थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत 4. शिवा पुत्र अमरसिंह गांव अंधैल थाना सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर के नाम प्रकाश में आये ।

तत्पश्चात दिनांक 29/30.05.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. आशुतोष राणा पुत्र वचन सिंह निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत उम्र करीब 26 वर्ष 2. मुकुल त्यागी पुत्र श्यानंद त्यागी निवासी गांव रतनपुरी, पिलाना थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत उम्र करीब 26 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। वांछित अभियुक्त तनिष तथा शिवा उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त आशुतोष ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 27/02/26 को नितिन मेरी बहन को अपने साथ लेकर चला गया था जिसके संबंध में थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत मे अभियोग

पंजीकृत है। बरामदगी के बाद मेरी बहन ने नितिन के पक्ष में बयान दिया था जिसके आधार पर अभियोग में अंतिम रिपोर्ट लगी थी। इसी मामले को लेकर मृतक नितिन आस पास के गाँव में हमारी बदनामी लगातार करता चला आ रहा था। मैंने नितिन को काफी समझाया अब मेरी बहन का पीछा छोड़ दें, जबकि तू जानता है मेरी बहन की शादी हो गयी है परन्तु नितिन नहीं माना तथा लगातार हमारी गांव मे बदनामी करता चला आ रहा था। मैंने अपने दोस्त मुकुल त्यागी व शिवा (मेरी मौसी का लडका) के साथ मिलकर योजना बनायी। शिवा तथा नितिन की आपस में पहले से जान-पहचान थी। योजना के तहत शिवा द्वारा नितिन को बीयर पीने के लिये बन्थला नहर लोनी के पास बुलाया जहां मै और मेरा दोस्त मुकुल त्यागी पहले से ही नितिन की फिराक में थे हमने नितिन को बीयर पीते समय पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी थी। नितिन को मृत अवस्था में छोडकर मैं और मुकुल त्यागी व शिवा अलग-अलग मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1. आशुतोष राणा पुत्र वचन सिंह निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत उम्र करीब 26 वर्ष।
2. मुकुल त्यागी पुत्र श्यानंद त्यागी निवासी गांव रतनपुरी, पिलाना थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत उम्र करीब 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से जनपद मेरठ से चोरी की गयी मोटरसाइकिल व स्कूटी बरामद।

दिनांक 29.05.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 शातिर अभियुक्तों 1. कुनाल पुत्र नेपाल निवासी गली न0 11 चूना भट्टी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष 2.चेतन उर्फ तुषार पुत्र राजेन्द्र निवासी ई-लाइन थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 3.नितिन कुमार पुत्र स्व0 शिवकुमार राघव निवासी शिवशक्ति विहार प्राइमरी स्कूल के पास पानी की टंकी थाना भावनपुर मेरठ हाल पता चूना भट्टी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 4. हर्ष पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी ई-लाइन थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से जनपद मेरठ से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी मय फर्जी नम्बर प्लेट बरामद की गयी। बरामद हुए वाहनों के सम्बन्ध में जनपद मेरठ में चोरी के अलग अलग अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में

थाना मोदीनगर पर धारा 317(2)/317(5)/345(3)3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग मौका पाकर वाहन चोरी कर लेते है। इस स्कूटी को हम लोगों ने लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व मेरठ में मेडीकल कॉलेज से चोरी की थी, हमारे पास एक फर्जी नम्बर प्लेट थी तो हम लोगो ने सही नम्बर प्लेट को हटा कर स्कूटी पर फर्जी नम्बर प्लेट लगा ली थी जिससे स्कूटी पकड़ी ना जा सके। हमने इसी स्कूटी से दो-तीन दिन पहले मेरठ के नौचन्दी मेला से इस मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर चोरी कर ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1.कुनाल पुत्र नेपाल निवासी गली न0 11 चूना भट्टी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।
2.चेतन उर्फ तुषार पुत्र राजेन्द्र निवासी ई-लाइन थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
3.नितिन कुमार पुत्र स्व0 शिवकुमार राघव निवासी शिवशक्ति विहार प्राइमरी स्कूल के पास पानी की टंकी थाना भावनपुर मेरठ हाल पता चूना भट्टी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।
4. हर्ष पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी ई-लाइन थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से जनपद मेरठ से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी मय फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उक्त वाहनों चोरी के संबंध में थाना मेडीकल जनपद मेरठ व थाना नौचंदी मेरठ में 01 -01 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त नितिन के विरुद्ध जनपद मेरठ में चोरी का 01 अन्य अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 29.05.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 शातिर वाहन चोर 1. शोहेल पुत्र मौ0 अब्बास वर्ष निवासी गली नं0-12 ख्वाजा पार्क रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष 2. योगेश कश्यप पुत्र महेन्द्रपाल निवासी गली नं0 03 ख्वाजापार्क इलायचीपुर खुराना चौक के पास थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उपरोक्त मोटरसाइकिल की चोरी के सम्बन्ध मे थाना बसंत कुंज साउथ दिल्ली में अभियोग

पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हमसे जो मोटरसाइकिल बरामद हुयी है यह हमने दिल्ली से चोरी की थी। हम मौका देखकर इसको बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. शोहेल पुत्र मौ0 अब्बास वर्ष निवासी गली नं0-12 ख्वाजा पार्क रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
2. योगेश कश्यप पुत्र महेन्द्रपाल निवासी गली नं0 03 ख्वाजापार्क इलायचीपुर खुराना चौक के पास थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में थाना बसंत कुंज साउथ दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल व स्नैचिंग किये 04 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 30.5.26 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. भरत उर्फ भारत पुत्र अनिल कुमार निवासी म0न0 एम-32 महावीर गार्डन गरिमा गार्डन नियर जामा मस्जिद थाना टीला मोड गाजियाबाद मूल पता गाव रजपुरा थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 22 वर्ष 2. मोहन उर्फ तुषार पुत्र राजेश उर्फ रामसिह निवासी F342 पुष्पा वाली गली पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली मूल पता गली नम्बर 8 धर्मपुरा गांधीनगर दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष को चोरी की 01 मोटर साइकिल व 04 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण :- अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि यह मोटरसाइकिल हम दोनों ने दिनाँक 27/05/2026 को दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन दिल्ली से चोरी की थी गयी थी तथा हम दोनो ने दिनाँक 28/05/2026 को यह सब मोबाइल फोन गाजियाबाद व दिल्ली से अलग अलग स्थानो से चोरी किये थे जिनमे से एक सेमसग S23 काले रग का मोबाइल हमने शालीमार गार्डन ESI हास्पिल के पास स्थित खोखे से भी चोरी किया था जो हमसे बरामद हुआ है यह वही है तथा एक माह पहले भी दयानन्द पार्क के पास से भी एक महिला का आई फोन 17 मोबाइल चोरी किया, इन्दिरापुरम से इसी महीने के शुरू मे आम्रपाली रायल उर्वसी सोसायटी के गेट पर खडे एक व्यक्ति से आई फोन 16 प्रो छीन लिया था जिसका रग गोल्डन था तथा लगभग बीस दिन पहले भी इन्दिरापुरम स्थित स्वर्ण जयती पार्क के सामने से एक व्यक्ति से वन प्लस नोड 5 मोबाइल छीन लिया था छीने गये मोबाइलों को हमने

राह चलते व्यक्तियो को सात हजार एव पाँच हजार रूपयो मे बेच दिया था जिससे मिले रूपयों को हमने ऊधारी चुकाने व नशा करने मे खर्च कर दिये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता:-

1. भरत उर्फ भारत पुत्र अनिल कुमार निवासी म0न0 एम-32 महावीर गार्डन गरिमा गार्डन नियर जामा मस्जिद थाना टीला मोड गाजियाबाद मूल पता गाव रजपुरा थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 22 वर्ष।
2.मोहन उर्फ तुषार पुत्र राजेश उर्फ रामसिह निवासी F342 पुष्पा वाली गली पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली मूल पता गली नम्बर 8 धर्मपुरा गांधीनगर दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल व स्नैचिंग किये 04 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- **अभियुक्त भरत का आपराधिक इतिहास:-** दिल्ली एनसीआर व गाजियाबाद में स्नैचिंग, चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- **अभियुक्त मोहन का आपराधिक इतिहास:-** थाना शालीमार व गाजियाबाद में स्नैचिंग,चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 90000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 23.05.2026 को साइबर सेल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक विनोद गुप्ता नि0 पंचवटी कॉलोनी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड(ACK NO-33105260113868) में निकाली गयी 90000 /- रु धनराशि आवेदक को वापस करायी गई।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक विनोद गुप्ता के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि के सम्बन्ध मे सम्बधित बैक से पत्राचार व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 30.05.2026 को आवेदक के साथ हुई साइबर

फ्रॉड की 90000 /- रू की धनराशि साइबर सेल टीम थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद द्वारा वापस कराया गयी । आवेदक द्वारा थाना कोतवाली नगर आकर थाना प्रभारी महोदय एवं साइबर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल टीम, थाना कोतवाली नगर ।